अपील सूचना अधिकार संख्या 18/2019(RCMS : 2019/00063) हरपाल सिंह सुधन वल्द महताब सिंह, ब्राह्मण सिख, चैम्बर नम्बर 5ए, कचहरी परिसर, रायसिंहनगर श्रीगंगानगर–335051 (मोबाईल नं. 96678–61073) बनाम अति. जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर (न्याय शाखा)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

03.07.2019

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री हरपाल सिंह सुधन स्वयं उपस्थित नहीं है। प्रार्थी के द्वारा दिनांक 02.07.2019 को ऑर्डर शीट के हाशिये पर इस आशय की लिखित में प्रार्थना की है कि उसने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत उसे अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 09.07.2018 के द्वारा चाही गई सूचना प्राप्त हो चुकी है इसलिए वह अपने सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 09.07.2018 पर अब कोई कार्यवाही नहीं चाहता है। यदि इस प्रार्थना पत्र को दाखिल दफ्तर कर दिया जाता है तो उसे कोई आपत्ति नही है।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी ने अपने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 09.07.2018 के द्वारा अति. जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर (न्याय शाखा) से उसके दादा लछमन सिंह पुत्र सुरजन सिंह के नाम से जारी बंदूक के लाईसेंस नम्बर 4083 दिनांक 11.12.1957 के रजिस्टर की प्रमाणित प्रतिलिपि चाही थी जिसकी सूचना उन्हें प्राप्त न होने के कारण उनके द्वारा यह अपील इस न्यायालय में पेश की थी।

चूंकि प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 09.07.2018 के द्वारा अति.जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर(न्याय शाखा) से अपने दादा लछमन सिंह पुत्र सुरजन सिंह के नाम से जारी बंदूक के लाईसेंस नम्बर 4083 दिनांक 11.12.1957 के रजिस्टर की प्रमाणित प्रतिलिपि चाही थी, जो उसे प्राप्त हो गई है। इसलिए उसने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दिनांक 28.01.2019 को प्रस्तुत अपने प्रार्थना पत्र को दाखिल दफ्तर करने की प्रार्थना की है।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

चूंकि अब अपीलार्थी अतिरिक्त जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर (न्याय शाखा) से बंदूक के लाईसेंस नम्बर 4083 दिनांक 11.12.1957 की प्रमाणित प्रति प्राप्त कर ली है और अब इस प्रकरण में वह आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहता है। इसलिए अपील दिनांक 28.01.2019 को इसी आधार पर खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति अति. जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर (न्याय शाखा) एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 03.07.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवप्रसाद एम. नकाते)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर